उत्तराखण्ड शासन

पर्यावरण, संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग

संख्या– 42 /XXXVIII-1–21–01(04)/2019

देहरादूनः दिनांकः– 19 जनवरी, 2021

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा 64 की उपधारा 2 के खण्ड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव की अर्हता और सेवा–शर्तों को विनियमित करने हेतु उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–41/ XXXVIII-1–21–01(04)/2019, दिनांक 19.01.2021 के द्वारा प्रख्यापित "**उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव की अर्हता और सेवा के निबंधन तथा शर्तें) नियमावली, 2021**" की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
5. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
6. समस्त निजी सचिव, मा0 मंत्रीगण, उत्तराखण्ड सरकार को मा0 मंत्रिगणों के संज्ञानार्थ।
7. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, राज्य पर्यावरण, संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय, उत्तराखण्ड।
9. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
10. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री रूड़की (हरिद्वार) को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अधिसूचना को असाधारण गजट में मुद्रित कराकर इसकी 150 प्रतियाँ पर्यावरण, संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग को शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव।

D/Adhisuchna/env/2021

उत्तराखण्ड शासन

पर्यावरण, संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग

संख्या– 41 /XXXVIII–1–21–01(04)/2019

देहरादूनः दिनांकः– 19 जनवरी, 2021

अधिसूचना

राज्यपाल, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा 64 की उपधारा 2 के खण्ड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड राज्य में अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु इस संबंध में पूर्व में निर्गत आदेश संख्या–VIP 18(2)/I(2)–व.ग्रा.वि./2002–13(5)2000, दिनांक 16.08.2002 एवं आदेश संख्या–3505/X–3–2008–13(5)2000, दिनांक 02.12.2008 को अधिक्रमित करते हुए उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव की अर्हता और सेवा–शर्तों को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव की अर्हता और सेवा के निबंधन तथा शर्तें) नियमावली, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

परिभाषाएँ

2. इस नियमावली में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) "अधिनियम" से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) अभिप्रेत है;

(ख) "उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड" से अधिनियम की धारा 4 के अधीन गठित उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अभिप्रेत है;

(ग) "अध्यक्ष" से उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(घ) "सदस्य सचिव" से उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का सदस्य सचिव अभिप्रेत है;

अध्यक्ष के रूप में पूर्णकालिक नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति के लिये शैक्षिक और अन्य अर्हताए

3. कोई भी व्यक्ति अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अन्तर्गत अध्यक्ष पद हेतु नाम निर्देशन के लिये चयनित किये जाने के लिये तभी पात्र होगा, जब वह निम्न शर्तों को पूर्ण करता हो–

(1) **शैक्षिक योग्यताः–** लोक प्रशासन/विधि/विज्ञान/पर्यावरणीय विज्ञान/अभियांत्रिकी/पर्यावरणीय अभियांत्रिकी में स्नात्कोत्तर अथवा समतुल्य डिग्री प्राप्त किया हो।

(2) वह अखिल भारतीय सेवा या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या किसी विश्वविद्यालय या स्वायत्त निकाय या कानूनी निकाय के अधीन कोई अधिकारी है और मूल कैडर या विभाग में लेवल–16 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में न्यूनतम तीन वर्षों की नियमित सेवा की हो।

(3) <u>आयु सीमा</u>– आवेदक की अधिकतम आयु आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

भर्ती की पद्धति 4. अध्यक्ष की नियुक्ति खोज–सह–चयन समिति द्वारा की जायेगी, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :–

(1) **अध्यक्ष**– मुख्य सचिव।
(2) **सदस्य**– अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पर्यावरण, संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग।
(3) **सदस्य**– प्रमुख सचिव/सचिव कार्मिक विभाग।
(4) **तकनीकी सदस्य**– एक विशेषज्ञ सदस्य, जो मुख्य सचिव द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा।

वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें 5. (1) अध्यक्ष, रू0 67,000–79000 के वेतनमान में सातवें वेतन में लेवल–17) वेतन प्राप्त करेगा।

उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट वेतन के अतिरिक्त, अध्यक्ष लेवल–17 हेतु अनुमन्य भत्ते, छुट्टी, कार्यभार ग्रहण का समय, कार्यभार ग्रहण समय के वेतन, भविष्य निधि, उपदान इत्यादि का हकदार होगा।

(2) अध्यक्ष पद पर तैनाती की अवधि कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 03 वर्ष अथवा आयु 63 वर्ष, जो भी पहले हो, की होगी। विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार द्वारा कार्यकाल 02 वर्ष अतिरिक्त रूप से बढ़ाया जा सकता है।

अध्यक्ष के रूप में अंशकालिक नियुक्ति 6. अध्यक्ष के नियमित नियुक्ति होने तक अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पर्यावरण, संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में पदेन अध्यक्ष होंगे।

सदस्य सचिव के रूप में नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति के लिये शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ 7. कोई भी व्यक्ति अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) के खण्ड (च) के अधीन सदस्य सचिव के रूप में नामनिर्देशन के लिये चयनित किये जाने के लिये तभी पात्र होगा, जब वह निम्न शर्तों को पूर्ण करता हो–

(1) <u>अनिवार्य शैक्षिक योग्यता</u>:– वह किसी मान्यता प्राप्त

विश्वविद्यालय या संस्थान से विज्ञान में मास्टर डिग्री अथवा इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री रखता हो।

(2) <u>वांछनीय शैक्षिक योग्यता</u>:– किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान पर्यावरण विज्ञान से संबंधित विषय में डाक्टरेट की उपाधी प्राप्त की हो। पर्यावरण सरंक्षण, जिसके अन्तर्गत औद्योगिक प्रदूषण न्यूनीकरण, जल उपचार या वायु प्रदूषण नियंत्रण के सम्बन्ध में 10 वर्ष का अनुभव रखता हो एवं केन्द्र/राज्य सरकार में 16 वर्ष की सेवा की हो।

(3) वह केन्द्रीय सरकार यॉ राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या किसी विश्वविद्यालय या स्वायत्त निकाय या कानूनी निकाय के अधीन कोई अधिकारी है और मूल कैडर या विभाग में लेवल–13 में नियमित रूप से पाँच वर्ष की सेवा की हो।

(4) **आयु सीमा**– आवेदक की अधिकतम आयु आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को न्यूनतम 40 वर्ष व 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

भर्ती की पद्वति

8. सदस्य सचिव की नियुक्ति खोज–सह–चयन समिति द्वारा की जायेगी, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:–

(1) अध्यक्ष– अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पर्यावरण, संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग।

(2) सदस्य– अपर सचिव, कार्मिक विभाग।

(3) सदस्य– निदेशक, पर्यावरण निदेशालय, उत्तराखण्ड।

(4) तकनीकी सदस्य– एक विशेषज्ञ सदस्य, जो समिति अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा।

वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें

9. (1) सदस्य सचिव लेवल–15 में वेतन प्राप्त करेगा।

(2) उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट वेतन के अतिरिक्त, लेवल–15 हेतु अनुमन्य भत्ते, छुट्टी, कार्यभार ग्रहण का समय, कार्यभार ग्रहण समय के वेतन, भविष्य निधि, उपदान इत्यादि का हकदार होगा।

(3) सदस्य–सचिव पद पर तैनाती की अवधि कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 03 वर्ष अथवा 60 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, की होगी। विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार द्वारा कार्यकाल अधिकतम 02 वर्ष अतिरिक्त रूप से बढ़ाया जा सकता है।

अध्यक्ष / सदस्य सचिव की पदच्यूति	10.	वित्तीय अनियमितता / कदाचार आदि की स्थिति में अध्यक्ष / सदस्य–सचिव को उनके कार्यकाल से पूर्व राज्य सरकार हटा सकेगी।
नियमों को शिथिल करने की शक्ति	11.	जहाँ राज्य सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह लिखित कारणों से इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों हेतु, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव।